न्यायालय तहसालदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – महेन्द्र सिंह रतनू

प्रकरण संख्याः– 2023/6

राज. सरकार

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र माडुराम जाति जाट साकिन मेघाना त. नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. डूंगरसिंह पुत्र रतिराम जाति नाई साकिन साकिन खोपड़ा त. नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. मदनसिंह पुत्र श्योकरण जाति राजपुत साकिन खोपड़ा त. नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. मांगेराम पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन खोपड़ा त. नोहर जिला हनुमानगढ़।

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः–15.09.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मेघाना ने एक रिर्पोट पी–14 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प. ह. भगूंली के खसरा नं. 138 किस्म गैर मु0 रास्ते की भूमि पर अप्राथीगण संख्या 01 ओमप्रकाश पुत्र माडुराम जाट नि0 खोपड़ा द्वारा नाजायज काश्त रक्बा 0.0866 है0 बाजरा, 02 मदनसिंह पुत्र श्योकरण राजपुत नि0 खोपड़ा नाजायज काश्त रक्बा 0.0200 है0 ग्वार, 03 डूंगरसिंह पुत्र रतिराम नाई नाजायज काश्त रक्बा 0.1794 है0 ग्वार एवं 04 मांगेराम पुत्र रामकुमार जाट नि0 खोपड़ा नाजायज रूप से रक्बा 0.1265 है0 पर ग्वार काश्त कर अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत हेतुक दर्शित के लिये सूचना संख्यांक–4 नोटिस दिया गया जो अप्रार्थीगण से तामिल होकर प्राप्त हुआ जिसे होकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नही किया अतः अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं पटवारी हल्का भंगुली की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 138 किस्म गैर मु0 रास्ते की भूमि पर नाजायज रूप से फसल काश्त की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रू. 100/– से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक मेघाना को आदेश जारी हो कि उक्त भूमि पर काश्त शुद्धा फसल को बहक सरकार कुर्क की जाकर कुर्क शुद्धा फसल की निलामी तिथि निर्धारित की जाकर निलामी करा बाद अनुमोदन खजानाराज जमा करावे एवं अतिक्रमी को आदेश प्राप्ति के तरन्त बाद मौके से बेदखल कर बेदखली रिर्पोट अलग से पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का भंगुली को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह रतनू R.T.S.)
तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ